भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4663

20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा

†4663. श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाओं के विस्तार के लिए कोई राष्ट्रीय रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार कवरेज और उक्त सेवाओं का लाभ लेने वाले रोगियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन अवसंरचना संपर्क सुविधा और उपकरणों की कमी की समस्या से जूझ रही है और यदि हां, तो इस संबंध में पहचानी गई कमियों और किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत टेलीमेडिसिन नेटवर्क के विस्तार के लिए राज्यों को समर्पित वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो उक्त निधि के आवंटन और उपयोग की निगरानी के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में टेली-परामर्श के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक और विशेषज्ञ पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं और यदि हां, तो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत चिकित्सक रोगी अनुपात और रिक्तियों की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या निरंतर उपचार के लिए टेलीमेडिसिन परामर्श को आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रिकॉर्ड के साथ एकीकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी अंतरसंचालनीय कार्यढांचे और कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या वृद्धावस्था में होने वाले, प्रसवकालीन तथा असाध्य रोगों से पीड़ित रोगियों को विशेष रूप से टेलीमेडिसिन आउटरीच कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किया गया है और यदि हां, तो इस संबंध में लाभार्थियों की संख्या और स्वास्थ्य से संबंधित हासिल किए गए लक्षित परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा (ई-संजीवनी) के नाम से एक टेलीमेडिसिन सेवा लागू की है, जो निम्नलिखित वेरिएंट के अनुसार कार्य करती है:

i. ई-संजीवनी एबी-एएएम: यह प्रदाता-से-प्रदाता टेलीमेडिसिन प्रणाली है, जिसे नवंबर, 2019 में शुरू किया गया था और यह हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है।
ii. ई-संजीवनी ओपीडी: यह रोगी-से-प्रदाता टेलीमेडिसिन प्रणाली है, जिसे अप्रैल, 2020 में शुरू किया गया था, ताकि नागरिक अपने घरों में ही सुरक्षित प्रदाता-से-रोगी परामर्श प्राप्त कर सकें।

इस प्लेटफॉर्म को नागरिकों, विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए समय पर, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ई-संजीवनी एबी-एएएम के माध्यम से, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आने वाले रोगियों को लंबी दूरी तय किए बिना विशेषज्ञ परामर्श प्राप्त होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी स्थानीय स्तर पर मरीजों की सहायता करते हैं, जबकि जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ दूरस्थ रूप से विशेषज्ञ चिकित्सा सलाह और ई-प्रिस्क्रिप्शन प्रदान करते हैं। यह मॉडल जेब से होने वाले खर्च, रेफरल में देरी और उच्च स्तरीय सुविधाकेंद्रों में भीड़भाड़ को काफी हद तक कम करता है। इसके अलावा, ई-संजीवनी ओपीडी नागरिकों को ऑनलाइन आउट पेशेंट सेवा के माध्यम से सीधे अपने घरों से योग्य डॉक्टरों से परामर्श करने की सुविधा प्रदान करती है। समय की बचत, लागत में कमी और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करके, यह प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार करता है और शीघ्र चिकित्सा हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है।

16 मार्च, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-संजीवनी ने देशभर में 45 करोड़ से अधिक मरीजों को सेवा प्रदान की है, जिनमें से 57% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं और लगभग 14% लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक हैं। यह सेवा 1,38,504 स्वास्थ्य केंद्रों (स्पोक्स) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से संचालित है, जिसे 18,573 हब और 776 ऑनलाइन ओपीडी से सहायता प्राप्त होती है, जिससे सुदूरतम क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होती है। 2.31 लाख से अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, जिनमें डॉक्टर, विशेषज्ञ, सुपर-स्पेशलिस्ट और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं, परामर्श प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इसका राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू किया जा चुका है और इसका कार्यान्वयन राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों की सहायता से होता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीकंसल्टेशन सेवाओं के बेहतर प्रावधान के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) परियोजना कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय प्रावधान वितरित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर,

कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार मंजूरी दी जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीकंसल्टेशन सुविधाओं के लिए कुल 222.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क और उपकरणों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. मेडिकल कॉलेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/डीएच में क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना, जिनमें डॉक्टरों की टीमें तैनात हों, ताकि अंतर्निहित केंद्रों को सहायता की जा सके।

ii. डॉक्टरों को शिफ्टों में टेलीकंसल्टेशन करने की अनुमति देना, जिससे वे अपने नियमित कर्तव्यों के साथ-साथ इसमें भाग ले सकें। विशिष्ट प्रकार के परामर्शों के लिए आयुष चिकित्सकों को शामिल करना, जिससे उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पूल में विस्तार हो।

iii. डॉक्टरों की उपलब्धता के आधार पर स्पोक को राज्यों और सघ राज्य क्षेत्रों के भीतर स्थित केंद्रों को कॉल करने में सक्षम बनाना, जिससे चिकित्सा सुविधाओं में चिकित्सा पेशेवरों की कमी के कारण टेलीकंसल्टेशन सेवाएं प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान हो सके।

iv. डॉक्टरों की दक्षता बढ़ाने और उनके कार्यभार को कम करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस और एआई-संचालित उपकरणों के साथ ई-संजीवनी की प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करना। इसके अतिरिक्त, ई-संजीवनी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अनुरूप है, जो स्वास्थ्य अभिलेखों के सुरक्षित आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि टेलीकंसल्टेशन व्यापक, रोगी-केंद्रित डेटा द्वारा समर्थित हैं।

v. नेटवर्क कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण भारत को हाई-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराया जा रहा है और कुछ राज्यों में टेलीमेडिसिन सेवाओं को सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकारें दूरसंचार प्रदाताओं के साथ मिलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक ब्रॉडबैंड कवरेज का विस्तार कर रही हैं।

vi. सरकार ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य पेशेवरों को टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षण संचालित करती है और क्षमता सृजन प्रदान करती है। सीडीएसी मोहाली स्थित ई-संजीवनी टीम डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता सृजन हेतु वर्चुअल प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती है।

अनुलग्नक

ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल संचालित हब	कुल संचालित स्पोक	ई-संजीवनी एएएम में परामर्शों की कुल संख्या	ई-संजीवनी ओपीडी में कुल परामर्शों की संख्या	कुल टेलीपरामर्श
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	67	884	76	960
2	आंध्र प्रदेश	1221	11426	83400598	37046	83437644
3	अरुणाचल प्रदेश	12	191	7943	568	8511
4	असम	362	3229	3044827	46775	3091602
5	बिहार	53	9542	29464229	123170	29587399
6	चंडीगढ़	5	56	127571	19099	146670
7	छत्तीसगढ	276	4465	4553016	1260	4554276
8	दिल्ली	5	28	3544	77220	80764
9	गोवा	23	99	2841	2200	5041
10	गुजरात	1903	9246	12827731	1018813	13846544
11	हरियाणा	192	1828	1055845	213600	1269445
12	हिमाचल प्रदेश	539	1896	1131337	7488	1138825
13	जम्मू और कश्मीर	507	1893	1686495	146604	1833099
14	झारखंड	29	3248	3706708	12708	3719416
15	कर्नाटक	2035	6283	24133832	5284439	29418271
16	केरल	129	6809	2673180	578381	3251561
17	लद्दाख	1	201	155094	79	155173
18	लक्षद्वीप	2	7	627	0	627
19	मध्य प्रदेश	177	10147	12186047	7642	12193689
20	महाराष्ट्र	1878	9164	12352939	746507	13099446
21	मणिपुर	27	271	102213	8721	110934
22	मेघालय	43	549	358219	14	358233
23	मिजोरम	88	296	51560	192	51752
24	नागालैंड	1	230	15598	16	15614
25	ओडिशा	481	6543	4921233	416	4921649
26	पुदुचेरी	4	46	6791	46	6837
27	पंजाब	16	1579	914496	4535	919031
28	राजस्थान	1893	5296	3006166	113654	3119820
29	सिक्किम	26	156	55234	19	55253
30	तमिलनाडु	1533	6906	71079590	1748318	72827908
31	तेलंगाना	954	5714	31790489	28774	31819263
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	15	72	152094	64	152158
33	त्रिपुरा	117	674	210788	155	210943
34	उत्तर प्रदेश	3948	18594	61096470	1836364	62932834
35	उत्तराखंड	9	1075	568438	970005	1538443
36	पश्चिम बंगाल	67	10678	77082162	13241	77095403
